सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं: NCST/SER-1921/CG/217/2025-RO-RPR/RU-I **दिनांक: 12.05.2026**

अपर मुख्य सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,
रायपुर-492015, छत्तीसगढ़
ई-मेल: amitkataria@ias.nic.in
dhscggazted@gmail.com

आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, छत्तीसगढ़
खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
चतुर्थ तल, ब्लॉक-1, इंद्रावती भवन,
नया रायपुर, छत्तीसगढ-492002
ई-मेल controllerraipur@gmail.com

विषय: अभ्यावेदक श्री कोमल देव भास्कर, प्रयोगशाला तकनीशियन, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाडी, रायपुर (छ.ग.) से प्राप्त अभ्यावेदन "जानबूझकर पदोन्नति नहीं देने वाले दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने" के संबंध में ।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 05.02.2025 एवं 30.06.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 20.05.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री कोमल देव भास्कर,
प्रयोगशाला तकनीशियन,
राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाडी, रायपुर (छ.ग.),
Mobile No:9926154068
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising the powers of a civil court under Article 338A of the Constitution of India)
(छत्तीसगढ़ के लिए क्षेत्रीय कार्यालय)
(Regional office for Chhattisgarh)

नोटिस

फा. सं.: NCST/SER-1921/CG/217/2025-RO-RPR/RU-I दिनांक: 05/02/2025

1. श्री मनोज कुमार पिंगुआ
अपर मुख्य सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर,
जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़ -492015

2. श्री अमित कटारिया
आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
चतुर्थ तल, ब्लॉक्-1, इंद्रावती भवन,
जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़- 492002

विषय: अभ्यावेदक श्री कोमल देव भास्कर, प्रयोगशाला तकनीशियन, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाडी, रायपुर (छ.ग.) से प्राप्त अभ्यावेदन "जानबूझकर पदोन्नति नहीं देने वाले दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्यवाई करने" के संबंध में।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री कोमल देव भास्कर से दिनांक 15/01/2025 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** जारी कर सकता है।

(प्रदीप कुमार दास)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री कोमल देव भास्कर, प्रयोगशाला तकनीशियन, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाडी, रायपुर (छ.ग.), Mobile No:9926154068

राष्ट्रीय अनु. जनजाति आयोग
प्रेषित/Issue 554 to 556
दिनांक 05/02/2025

प्लाट नं. 3/16, ईएसी कॉलोनी, प्रथम तल, जिला न्यायालय के पीछे, पूर्णिमा स्कूल के पास, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492001
EAC Colony, Plot No. 3/16, 1st Floor, Behind District Court, Near Poornima School, Raipur (Chhattisgarh) - 492001
E Mail : ro-raipur@ncst.nic.in, Telefax: 0771 - 2443335

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising the powers of a civil court under Article 338A of the Constitution of India)
(छत्तीसगढ़ के लिए क्षेत्रीय कार्यालय)
(Regional Office for Chhattisgarh)

फा. सं.: NCST/SER-1921/CG/217/2025-RO-RPR/RU-I -251 दिनांक: 30/06/2025

1. अपर मुख्य सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर,
रायपुर, छत्तीसगढ़- 492015

2. आयुक्त
खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
चतुर्थ तल, ब्लॉक - 1, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़- 492002

विषय: अभ्यावेदक श्री कोमल देव भास्कर, प्रयोगशाला तकनीशियन, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीवाडी, रायपुर (छ.ग.) से प्राप्त अभ्यावेदन "जान-बूझकर पदोन्नति नहीं देने वाले दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने" के संबंध में।

संदर्भ : - ESTB-1/162/2025-HEALTH SECTION - 2 दिनांक 17.04.2025

महोदय,

उपरोक्त विषय पर उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला - रायपुर (छ.ग.) से प्राप्त उत्तर/पत्र दिनांक 17.04.2025 की छायाप्रति अभ्यावेदक को सूचनार्थ भेजी गयी थी जिससे असंतुष्ट होकर श्री कोमल देव भास्कर ने दिनांक 19.05.2025 का रिजॉइंडर आयोग को भेजा है, उक्त रिजॉइंडर की प्रति संलग्न कर आपको भेजने का निर्देश हुआ है।

2. आपसे अनुरोध किया जाता है की रिजॉइंडर में उठाए गए बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गयी कार्रवाई की तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को इस पत्र प्राप्ति के 15 दिनों की अवधि के भीतर अवश्य भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि अग्रिम कार्रवाई हेतु मामलें को आयोग के समक्ष रखा जा सके।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार दास)
अनुसंधान आधिकारी

प्रतिलिपि :
श्री कोमल देव भास्कर, प्रयोगशाला तकनीशियन, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाडी, रायपुर (छ.ग.)

प्लाट नं. 3/16, ईएसी कॉलोनी, प्रथम तल, जिला न्यायालय के पीछे, पूर्णिमा स्कूल के पास, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492001
EAC Colony, Plot No. 3/16, 1st Floor, Behind District Court, Near Poornima School, Raipur (Chhattisgarh) - 492001
E Mail : ro-raipur@ncst.nic.in, Telefax: 0771 - 2443335